



Neutral Citation No. - 2026:AHC:8537

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 737 वर्ष 2026

आकाश @ साहिलआवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यविपक्षी पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता : योगेंद्र पाल सिंह

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता : शा.अधि.

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद-सूची की पुनः पुकार कराई गई है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री नागेंद्र कुमार, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री वी.के.एस. परमार को सुना गया तथा अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया गया।
3. आवेदक ने मुकदमा अपराध संख्या 281 वर्ष 2025, धारा 103(1), 238ख भारतीय न्याय संहिता, थाना जानी, जिला मेरठ में, विचारण के लंबित रहने की अवधि में जमानत की मांग की है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। उसका उक्त अपराध से कोई संबंध नहीं है। एफआईआर में लगभग पांच दिनों की देरी है और उक्त विलंब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।
5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा है कि एफआईआर केवल संदेह के आधार पर दर्ज की गई है क्योंकि एक हिमांशु ने कथित रूप से आवेदक को मृतक व्यक्ति का स्कूटर चलाते देखा था और आवेदक अपने घर से गायब बताया गया था, इसलिए उसे केवल संदेह के आधार पर मामले में फंसाया गया है।
6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि एफआईआर दिनांक 13.6.2025 को दोपहर 12:30 बजे दर्ज की गई और उसके मात्र आठ मिनट के भीतर दोपहर 12:38 बजे आवेदक को गिरफ्तार किया गया तथा उस पर स्कूटर एवं मोबाइल की झूठी बरामदगी थोपी गई। यहां तक कि एक ईट भी आवेदक पर थोपी गई, जिसे स्कूटर की डिक्की में रखा बताया गया। आवेदक के विरुद्ध कोई ठोस या प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है।
7. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि मृतक व्यक्ति के भाई ने शव को कब्जे में लेने के लिए थाने में एक आवेदन दिया था, जिसमें उसने आवेदक के विरुद्ध एक भी शब्द नहीं लिखा। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक 13.6.2025 से जेल में बंद है और वह विचारण में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।
8. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का बलपूर्वक विरोध किया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. "दोषसिद्ध होने तक निर्दोषिता की धारणा" के सुप्रसिद्ध सिद्धांत से जमानत को नियम के रूप में तथा कारावास को अपवाद के रूप में मानने की अवधारणा उत्पन्न होती है।
10. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा प्रत्याभूत व्यक्ति के जीवन एवं स्वतंत्रता के अधिकार को केवल इस कारण नहीं छीना जा सकता कि व्यक्ति पर कोई अपराध करने का आरोप है, जब तक कि उचित संदेह से परे अपराध स्थापित न हो जाए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 यह उद्घोषित करता है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किए बिना नहीं छीना जा सकता, और वह प्रक्रिया न्यायसंगत एवं उचित होनी चाहिए। उक्त सिद्धांत को सर्वोच्च न्यायालय ने **सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो एवं अन्य, (2022) 10 एससीसी 51** में पुनः दोहराया है।
11. उपरोक्त दृष्टिकोण को पुनः दोहराते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने **मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय, 2024 INSC 595** के मामले में पुनः बल दिया है कि इस सुस्थापित विधिक सिद्धांत को नहीं भूलना चाहिए कि जमानत को दंड के रूप में नहीं रोका जाना है। अब समय आ गया है कि न्यायालय इस सिद्धांत को मान्यता दें कि "जमानत नियम है और जेल अपवाद है"।
12. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता/राज्य विधि अधिकारी कोई ऐसी असाधारण परिस्थिति प्रस्तुत नहीं कर सके जो आवेदक को जमानत देने से इनकार को उचित ठहराए।
13. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा की गई प्रस्तुतियों, अभिलेख पर रखे गए साक्ष्य पर विचार करते हुए, एफआईआर दर्ज होने में पांच दिनों की देरी को ध्यान में रखते हुए तथा इस तथ्य के साथ कि मृतक व्यक्ति के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



भाई ने थाने में दिए अपने आवेदन में आवेदक के विरुद्ध एक भी शब्द नहीं लिखा, और मामले के गुणदोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, न्यायालय प्रथम दृष्टया यह मत है कि आवेदक ने जमानत का मामला बनाया है। जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

14. आवेदक आकाश @ साहिल, जो उपरोक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त है, को व्यक्तिगत बंधपत्र तथा उसी राशि में दो प्रतिभूतियां संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। आगे, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व प्रतिभूतियों का सत्यापन किया जाए।

- (i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा नहीं।
- (iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

15. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्त करने का आधार होगा।

16. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियां किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की गवाही के आधार पर अपना स्वतंत्र मत बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

13 जनवरी, 2026

विकास वर्मा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।